

प्ररूप अ. डि. . 18

(रजिस्टर में अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता) के नाम या वर्णन के परिवर्तन की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध )

(धारा 31नियम 62, 67 68)

अभिन्यास डिज़ाइन सं. -----के मामले में

मै/हम -----के ----- यथोपरि संख्यांकित अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी /उपयोगकर्ता हूँ, हैं।

मेरा/हमारा भारत में कारबार का मुख्य स्थान/निवास स्थान का पता या गृह देश मेरा/हमारा पता अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्टर में निम्नवत परिवर्तित किया जाए

पते में परिवर्तन का आदेश -----के द्वारा तारीख-----मास-----20को किया गया था । आदेश की शासकीय प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है ।

इस अनुरोध की प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/उपयोगकर्ता पर तामील कर दी गई है ।

आज तारीख-----मास-----20

5.-----

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----6पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

- 1.जो लागू न हो उसे काट दें ।
- 2.जो शब्द लागू न हो उसे काट दें ।
3. यदि लागू न हो तो काट दें ।
4. परिवर्तन का आदेश देने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और आदेश की तारीख भरें ।
5. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/उपयोगकर्ता या उसके अधिकर्ता के हस्ताक्षर ।
6. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम- 4 देखें